



डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ.प्र.)

पत्रांक: /लो. अ. वि. /कु.कार्या./ 114/ / 2023 दिनांक: 05.04.2023

सेवा में,

संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/ प्राचार्य संबद्ध महाविद्यालय/समन्वयक
डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या।

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20-20 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम संचालन हेतु पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देश को अद्यतन रूप से संशोधित किया जा रहा है। वांछित संशोधनोंपरांत दिशा-निर्देश की एक प्रति आप द्वारा सुझाव प्रदान करने हेतु संलग्न प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपना समुचित सुझाव 11 अप्रैल, 2023 तक अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे संबंधित नियमावली को अंतिम स्वरूप प्रदान किया जा सके।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:

निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
परीक्षा नियंत्रक ।

प्रोग्रामर ईडीपी सेल को इस आशय के साथ प्रेषित की संबंधित सूचना समस्त संबद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश/परीक्षा सम्बन्धी दिशा-निर्देश

(दिनांक: 00-00-2023)

National Education Policy-2020: Admission/Examination Related Guideline for Graduate/PostGraduate Courses

(Dated: 00-00-2023)

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा को शैक्षिक सत्र 2021-22 से स्नातक पाठ्यक्रमों में लागू किये जाने तथा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी किये गए पत्र संख्या - 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015, पत्र संख्या - 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 18 फरवरी 2019, पत्र संख्या 602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020 दिनांक 22 फरवरी 2021, पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल 2021, पत्र संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी.सी. दिनांक 13 जुलाई 2021, पत्र संख्या 1969/सत्तर-3-2021 दिनांक 18 अगस्त 2021, पत्र संख्या 2058/सत्तर-3-2021-08(33)/2020टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021, पत्र संख्या 2518/सत्तर-3-2021-08(34)/2020 दिनांक 21 अक्टूबर 2021, संख्या 401/सत्तर-3-2022 दिनांक 09 फरवरी 2022, पत्र संख्या 1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020 दिनांक 20 अप्रैल 2022 तथा पत्र संख्या 660/सत्तर-3-2023-08(21)/2022 दिनांक 02 मार्च 2023 में निहित प्राविधानों तथा विश्वविद्यालय पत्रांक संख्या लो०अ०वि०/शैक्ष०/2018/11078 दिनांक 03 जुलाई 2018, पत्रांक संख्या लो०अ०वि०/गो०वि०/5971/2021 दिनांक 14 अक्टूबर 2021, पत्रांक संख्या लो०अ०वि०/गो०वि०/6081/2021 दिनांक 23 नवम्बर 2021, पत्रांक संख्या लो०अ०वि०/शैक्ष०/4060/2021 दिनांक 30 नवम्बर 2021 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को विभिन्न पाठ्यक्रमों में लागू किये जाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) दिनांक 02-07-2021, दिनांक 11-11-2021 तथा दिनांक 27-06-2022 में प्राविधानित व्यवस्था के आधार पर एवं विश्वविद्यालयीय व्यवस्था की सुचारुता के दृष्टि से अद्यतन संशोधन के साथ इस दिशा-निर्देश को जारी किया जा रहा है जिसे आवश्यकतानुसार भविष्य में संशोधित भी किया जा सकता है।

- 1 (a) यह दिशा-निर्देश सत्र 2022-23 के लिए दिनांक 27-06-2022 को अधिसूचित दिशा-निर्देश का अद्यतन संशोधित प्रारूप है। यह दिशा-निर्देश सत्र 2022-23 के लिए तथा सत्र 2023-24 में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के नव-प्रवेशित विद्यार्थियों पर पूर्ण-रूपेण लागू होगा।
(b) सत्र 2021-22 में प्रवेशित विद्यार्थियों पर वोकेशनल पाठ्यक्रम के चयन से सम्बन्धित अंश को छोड़कर इस दिशा-निर्देश के अन्य अंश तृतीय सेमेस्टर से लागू होंगे।
(c) इस दिशा-निर्देश को सम्बद्ध महाविद्यालय अपने वेबसाइट/नोटिस-बोर्ड के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसारित करेंगे।
(d) इस दिशा-निर्देश के किसी अंश पर विवाद अथवा विभ्रान्ति की स्थिति में अन्तिम निर्णय कुलपति महोदय का होगा।
- 2 स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 तक प्रवेशित छात्रों पर सम्बन्धित उपाधि प्राप्त करने तक यह दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे।
- 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों के क्रम में डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत संचालित स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम 'Continuous and

Comprehensive Evaluation' (CCE) की भावना तथा 'Choice Based Credit System' (CBCS) की संरचना से आच्छादित होंगे।

- 4 (a) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों के क्रम में स्नातक स्तर पर सी0बी0सी0एस0 (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम व्यवस्था सत्र 2021-22, सत्र 2022-23 तथा अग्रगामी सत्रों के लिए बी0ए0/बी0एस-सी0/बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में निरन्तरता के साथ लागू रहेगी।
- (b) परास्नातक स्तर पर सी0बी0सी0एस0 (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम व्यवस्था सत्र 2022-23 तथा अग्रगामी सत्रों के लिए सामान्य पाठ्यक्रमों यथा – एम0ए0, एम0एस-सी0 एवं एम0कॉम0 में निरन्तरता के साथ लागू रहेगी।
- (c) स्नातक स्तर के अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम यथा – बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0एस-सी0-कृषि, बी0एस-सी0-गृह विज्ञान, एल0एल0बी0, बी0एड0 इत्यादि एवं सम्बन्धित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यथा – एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, एम0एस-सी0-कृषि, एम0एस-सी0-गृह विज्ञान, एल0एल0एम0, एम0एड0 इत्यादि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधान शासन द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर ही लागू किये जायेंगे।

5 पाठ्यक्रम संरचना एवं क्रेडिट/ग्रेडिंग प्रणाली:

- 5.01 सी0बी0सी0एस0 (CBCS) संरचना में स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित विषय प्रमुखतः दो श्रेणियों में विभाजित होंगे।

प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत मेजर-विषय (Major Subject) होंगे। विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के अध्याय 07 में सूचीबद्ध विषय ही मेजर विषय हो सकते हैं। मेजर विषयों के संचालन के लिए विषय/संकाय सम्बद्धता की अनिवार्यता होगी।

द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत माइनर-विषय (Minor Subject) होंगे जिन्हें अग्रेतर माइनर-इलेक्टिव, वोकेशनल तथा अनिवार्य को-करीकुलर विषयों के रूप में जाना जायेगा। परास्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अनिवार्यतः एक माइनर-इलेक्टिव/जेनेरिक-इलेक्टिव प्रश्नपत्र की व्यवस्था होगी, जो किसी अन्य संकाय का प्रश्नपत्र अथवा ओपन-इलेक्टिव वर्ग के विषय से सम्बन्धित हो सकता है। इसी श्रेणी में स्नातक तृतीय वर्ष और परास्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में शोध आधारित मेजर-प्रोजेक्ट को भी रखा गया है। इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले विषयों के लिए सम्बद्धता की अनिवार्यता नहीं होगी किन्तु इनके अध्यापन के लिए योग्यताधारी विशेषज्ञों को अनुबन्धित करना अनिवार्य होगा।

- 5.02 स्नातक/परास्नातक के समस्त विषय/प्रश्नपत्र क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली से आच्छादित होंगे। प्रश्नपत्र 2/3/4/5/6 क्रेडिट के हो सकते हैं।
- 5.03 6 क्रेडिट के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के लिए सत्र में न्यूनतम 90 घंटे का शिक्षण कार्य आवश्यक होगा। इसी प्रकार 5 क्रेडिट के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के लिए सत्र में न्यूनतम 75 घंटे, 4 क्रेडिट के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के लिए सत्र में न्यूनतम 60 घंटे, 3 क्रेडिट के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के लिए सत्र में न्यूनतम 45 घंटे तथा 2 क्रेडिट के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के लिए सत्र में न्यूनतम 30 घंटे का अध्यापन आवश्यक होगा।
- 5.04 प्रायोगिक प्रश्नपत्र के लिए प्रति क्रेडिट सैद्धांतिक प्रश्नपत्र से दो गुने घंटे का प्रायोगिक कार्य आवश्यक होगा; अर्थात् 2 क्रेडिट के प्रायोगिक प्रश्नपत्र के लिए सत्र में न्यूनतम 60 घंटे का प्रायोगिक कार्य, 3 क्रेडिट के प्रायोगिक प्रश्नपत्र के लिए सत्र में न्यूनतम 90 घंटे का प्रायोगिक कार्य आवश्यक होगा।
- 5.05 सैद्धांतिक/प्रायोगिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा धारा-13 तथा परीक्षा-परिणाम/मूल्यांकन धारा-15 की व्यवस्था के अधीन होगी।

- 6 प्रवेश व्यवस्था:**
- 6.01 विद्यार्थी यू0आई0एन0 रजिस्ट्रेशन के उपरान्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अपने प्रथम प्रवेश के समय ही संकाय का चुनाव करेगा।
- 6.02 (a) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अनुमन्य सीटों एवं प्रवेश नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय/पाठ्यक्रम में प्रवेश देगा।
- (b) विद्यार्थी को संकाय/पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय ही विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का वार्षिक (दो सेमेस्टर के लिए) आधार पर निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना होगा जो विद्यार्थी द्वारा अध्ययन प्रारम्भ करने अथवा ईयर-बैक की स्थिति में नॉन-रिफंडेबल (Non-refundable) होगा।
- (c) शासनादेश संख्या – 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 18 फरवरी 2019 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटों के सापेक्ष 10% सीटों पर सामान्य वर्ग की उपलब्ध सीटों के अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप - यदि किसी पाठ्यक्रम में 60 सीटें प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं तो सामान्य वर्ग की 30 सीटों के अंतर्गत 06 सीटें EWS वर्ग के लिए इस प्रकार से आरक्षित की जायेंगी कि 01 सीट महिला एवं 05 सीट पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु उपलब्ध हो।
- 6.03 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय विद्यार्थी तीन मेजर (मुख्य) विषयों का चुनाव करेगा, जिसमें से दो मेजर विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे। तीसरा मेजर विषय वह अपने संकाय के अतिरिक्त दूसरे संकाय से ले सकता है, परन्तु विश्वविद्यालयीय व्यवस्था की सुचारुता के दृष्टिगत, अग्रिम आदेशों तक, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा तीसरे मेजर विषय को भी धारा-08 की व्यवस्था के अंतर्गत अपने संकाय से ही चयनित करना होगा।
- 6.04 स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को चौथे विषय के रूप में प्रथम चार सेमेस्टर हेतु प्रतिवर्ष के क्रम में (अर्थात् प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष में तृतीय सेमेस्टर में) एक माइनर-इलेक्टिव विषय अपने संकाय के किसी दूसरे विभाग अथवा दूसरे संकाय से चयनित करना होगा। माइनर-इलेक्टिव विषय 'ओपन-इलेक्टिव' वर्ग से भी चयनित किये जा सकते हैं।
- 6.05 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय विद्यार्थी को प्रथम चार-सेमेस्टर के लिए एक रोजगारपरक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा।
- 6.06 स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम 03 वर्ष में विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के क्रम में एक अनिवार्य सहगामी (Co-curricular) विषय का अध्ययन करना होगा।
- 6.07 स्नातक स्तर पर विषय के चयन में Prerequisite का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी वही मेजर विषय चयनित कर सकते हैं, जिसके लिए वह prerequisite को qualify कर रहे हों।
- 6.08 परास्नातक पाठ्यक्रम में एक ही मुख्य विषय (Major Subject) होगा।
- 6.09 परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थी उसी मुख्य विषय (Major Subject) का चयन कर सकेगा जिसका अध्ययन उसने स्नातक तृतीय वर्ष में किया है।
- 7 स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संकाय/विषय चयन की पात्रता:**
- 7.01 स्नातक स्तर पर कला संकाय/ विज्ञान संकाय/ वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत संचालित विषयों तथा परास्नातक स्तर पर विषय आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की पात्रता निम्नवत निर्धारित की जाएगी -

प्रवेश का संकाय/ पाठ्यक्रम	प्रवेश हेतु विद्यार्थी की पात्रता	
	विषय वर्ग	पात्रता अंक/प्रतिशत
विज्ञान संकाय (स्नातक)	इंटरमीडिएट – विज्ञान वर्ग	इंटरमीडिएट – 36% अंक
कला संकाय (स्नातक)	इंटरमीडिएट – कला वर्ग या विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग या कृषि वर्ग या व्यवसायिक वर्ग	इंटरमीडिएट – 36% अंक
वाणिज्य संकाय (स्नातक)	इंटरमीडिएट – वाणिज्य वर्ग या हाई-स्कूल/इंटरमीडिएट में गणित अथवा इंटरमीडिएट में अर्थशास्त्र विषय के साथ कला वर्ग या हाई-स्कूल/इंटरमीडिएट में गणित विषय के साथ विज्ञान वर्ग अथवा कृषि वर्ग अथवा व्यवसायिक वर्ग	इंटरमीडिएट – 36% अंक
एम0ए0	बी0ए0 तृतीय वर्ष के विषय	बी0ए0 – 40% अंक या समतुल्य ग्रेड
एम0एस-सी0	बी0एस-सी0 तृतीय वर्ष के विषय	बी0एस-सी0 – 40% अंक या समतुल्य ग्रेड
एम0काम0	बी0काम0	बी0काम0 – 40% अंक या समतुल्य ग्रेड

7.02 पात्रता एवं चरित्र-प्रमाणन के आधार पर विद्यार्थी को प्रवेश देने अथवा न देने का सर्वाधिकार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य / विभाग के विभागाध्यक्ष का होगा।

8 प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय/ विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विषय-संयोजन:

8.01 विषय-संयोजन (कला संकाय):

विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषय निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से 03 मेजर विषयों का चुनाव चयन-सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाना होगा। आगामी सत्रों हेतु विषय-चयन की प्रक्रिया को आवश्यकतानुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। प्रक्रिया परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय स्तर से पृथक अधिसूचना जारी की जाएगी।

समूह-अ	समूह-ब	समूह-स
1. हिन्दी	1. भूगोल	1. शिक्षा शास्त्र
2. अंग्रेजी	2. मनोविज्ञान	2. अर्थशास्त्र
3. उर्दू	3. संगीत	3. राजनीति शास्त्र
4. संस्कृत	4. चित्रकला	4. लोक प्रशासन
5. सिन्धी	5. समाजकार्य	5. समाजशास्त्र
	6. शारीरिक शिक्षा	6. प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व
	7. कम्प्यूटर साइंस	7. इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक)
	8. गृहविज्ञान	8. जैनेलॉजी
	9. आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस	9. दर्शनशास्त्र
	10. रक्षा एवं स्र्वातेजिक अध्ययन (सैन्य विज्ञान)	10. गणित

8.02 विषय-चयन सम्बन्धी निर्देश (कला संकाय) -

(a) विद्यार्थी समूह 'अ', 'ब' और 'स' में किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन कर सकता है। किसी एक समूह से तीन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा।

- (b) विद्यार्थी को 'प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व', जैनेलॉजी तथा 'इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक)' विषयों में से किसी एक ही विषय का चयन करना होगा।
- (c) 'समाज शास्त्र' विषय तथा 'समाज कार्य' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
- (d) 'सिन्धी' विषय तथा 'उर्दू' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
- (e) 'राजनीति शास्त्र' विषय तथा 'लोक प्रशासन' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
- (f) मनोविज्ञान' विषय तथा 'शिक्षाशास्त्र' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
- (g) 'गृह-विज्ञान' विषय एवं 'रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
- (h) ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और कम्प्यूटर साइंस में से किसी एक ही विषय का चयन किया जा सकता है।

8.03 विषय-संयोजन (विज्ञान संकाय):

विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषयों को निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से 03 मेजर विषयों का चुनाव चयन-सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाना होगा। आगामी सत्रों हेतु विषय-चयन की प्रक्रिया को आवश्यकतानुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। प्रक्रिया परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय स्तर से पृथक अधिसूचना जारी की जाएगी।

Group-A	Group-B	Group-C
1. Physics	1. Chemistry	1. Botany
2. Mathematics	2. Geology	2. Zoology
3. Electronics	3. Geography	3. Bio-Chemistry
4. Computer Application	4. Environmental Science	4. Bio-Technology
	5. Defence & Strategic Studies	5. Microbiology
		6. Seed Technology

8.04 विषय-चयन सम्बन्धी निर्देश (विज्ञान संकाय) -

- (a) Pre-requisite को Qualify करने की दशा में विषय-संयोजन के लिए विद्यार्थी Group A या Group B या Group C से पृथक-पृथक न्यूनतम 02 अथवा अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।
- (b) Pre-requisite को Qualify करने की दशा में विद्यार्थी विषय-संयोजन के लिए Group A और Group B से सम्मिलित रूप से न्यूनतम 02 और अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।
- (c) Pre-requisite को Qualify करने की दशा में विद्यार्थी विषय-संयोजन के लिए Group B और Group C से सम्मिलित रूप से न्यूनतम 02 और अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।
- (d) छात्र द्वारा Group A और Group C के विषय सम्मिलित रूप से विषय-संयोजन के लिए चयनित नहीं किये जायेंगे।
- (e) Group A के विषयों के चयन के लिए विद्यार्थी Pre-requisite को तभी Qualify करेगा जब उसने इंटरमीडिएट में Physics और Mathematics विषयों का अध्ययन किया हो।
- (f) Group B के विषयों में से Chemistry विषय के चयन के लिए विद्यार्थी Pre-requisite को तभी Qualify करेगा जब उसने इंटरमीडिएट में Chemistry विषय का अध्ययन किया हो।
- (g) Group C के विषयों के चयन के लिए विद्यार्थी Pre-requisite को तभी Qualify करेगा जब उसने इंटरमीडिएट में Biology विषय का अध्ययन किया हो।

- (h) यदि छात्र Physics-Mathematics-Geology विषय संयोजन अथवा Physics-Mathematics-Geography विषय संयोजन चयनित करता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट में Physics और Mathematics विषय का अध्ययन आवश्यक है।
- (i) यदि छात्र Geology-Geography-Chemistry विषय संयोजन चयनित करता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट में Chemistry और Mathematics विषय का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
- (j) यदि छात्र Botany-Geology-Chemistry विषय संयोजन चयनित करता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट में Chemistry और Biology विषय का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
- (k) छात्र द्वारा Geography विषय तथा Environmental Sciences विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।

8.05 वाणिज्य-संकाय के अंतर्गत तीन मेजर विषयों का चयन बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार करना होगा।

8.06 **प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता:**

शासनादेश संख्या – 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0ए0/बी0एस-सी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक इकाई के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त मेजर विषयों में प्रति विषय 60 सीटों के गुणक में अनुमन्य कुल सीटों की गणना निम्नांकित प्रकार से की जाएगी –

$$\text{पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटें} = \text{संकाय में सम्बद्धता प्राप्त मेजर विषय} \times 60$$

उदाहरणार्थ – यदि किसी महाविद्यालय को बी0ए0 पाठ्यक्रम के लिए 07 मेजर विषयों में सम्बद्धता प्राप्त है तो उस महाविद्यालय के बी0ए0 पाठ्यक्रम की एक इकाई के अन्तर्गत प्रवेश हेतु कुल $07 \times 60 = 420$ सीटें अनुमन्य होंगी। इसी प्रकार यदि किसी महाविद्यालय को बी0एस-सी0 पाठ्यक्रम के लिए 05 मेजर विषयों में सम्बद्धता प्राप्त है तो उस महाविद्यालय के बी0एस-सी0 पाठ्यक्रम की एक इकाई के अन्तर्गत प्रवेश हेतु कुल $05 \times 60 = 300$ सीटें अनुमन्य होंगी।

8.07 धारा-8.06 की व्यवस्थानुसार बी0ए0/बी0एस-सी0 पाठ्यक्रम के लिए आगणित कुल सीटें सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक इकाई (यूनिट) की प्रवेश क्षमता (उपरोक्त उदाहरण में बी0ए0 के लिए 420 तथा बी0एस-सी0 के लिए 300) को प्रदर्शित करेंगी। तद्क्रम में, प्रत्येक विषय के एक अनुभाग/सेक्शन में 60 सीट होंगी।

8.08 संसाधनों की उपलब्धता एवं आवेदन के आधार पर नियमानुसार सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक या अधिक अतिरिक्त इकाई (यूनिट) अथवा विषयवार अतिरिक्त अनुभाग/सेक्शन की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा सकती है।

8.09 कला संकाय के अन्तर्गत न्यूनतम 07 विषयों की मान्यता तथा प्रति विषय 01 शिक्षक के अनुमोदन के साथ 01 इकाई (420 सीटों) की सम्बद्धता की स्थिति में विभिन्न विषय संयोजनों के साथ किसी एक विषय में अधिकतम 180 विद्यार्थी को प्रवेश प्रदान किया जा सकेगा। इसी प्रकार विज्ञान संकाय के अन्तर्गत न्यूनतम 05 विषयों की मान्यता तथा प्रति विषय 01 शिक्षक के अनुमोदन के साथ 01 इकाई (300 सीटों) की सम्बद्धता की स्थिति में विभिन्न विषय संयोजनों के साथ किसी एक विषय में अधिकतम 150 विद्यार्थी को प्रवेश प्रदान किया जा सकेगा।

परन्तु किसी एक विषय में शिक्षकों की संख्या 01 से अधिक होने पर विभिन्न विषय संयोजनों के साथ उस विषय में अग्रेतर सीटें शिक्षकों की संख्या के सापेक्ष 60 के गुणक में निर्धारित होंगी। उदाहरणस्वरूप - कला संकाय के अन्तर्गत 07 विषयों की एक इकाई (420 सीटों) के किसी एक विषय में यदि 03 अनुमोदित शिक्षक हैं, तो उस विषय में अधिकतम $180 + (02 \times 60) = 300$ तक सीटें प्रवेश के लिए उपलब्ध हो सकती हैं। समान प्रक्रिया विज्ञान संकाय के विषयों के लिए भी अनुपालित की जाएगी।

- 8.10 धारा-8.09 के क्रम में एक विषय अथवा विभिन्न विषय संयोजनों में प्रवेश के लिए निर्धारित सीटों की संख्या का कुल योग किसी भी दशा में धारा-8.06 के अनुसार सम्बन्धित पाठ्यक्रम (बी0ए0/बी0एस-सी0) में प्रवेश के लिए अनुमन्य/आगणित कुल सीटों की संख्या को अतिक्रमित नहीं करेगा।
- 8.11 विश्वविद्यालय की 'प्रथम परिनियमावली 1978 की धारा-11.26' में प्रदत्त व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या – 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के क्रम में आवेदन एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा विषयवार सीटों की संख्या में एक सत्र के लिए 60 से 80 की अभिवृद्धि की जा सकती है।
- 8.12 माइनर विषयों के सन्दर्भ में उपलब्ध सीटों की गणना के लिए धारा-8.06 से धारा-8.10 की व्यवस्था बाध्यकारी नहीं होगी, परन्तु महाविद्यालय को सम्बन्धित माइनर विषय के अध्यापन की सुविधा सुनिश्चित करना बाध्यकारी होगा।
- 8.13 बी0कॉम0 की सम्बद्धता के सापेक्ष पाठ्यक्रम में प्रथम इकाई के लिए प्रवेश हेतु सीटों की अनुमन्य संख्या 300 होगी। अतिरिक्त इकाई के लिए विश्वविद्यालय को नियमानुसार आवेदन कर अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 8.14 सम्बद्धता प्राप्त परास्नातक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या के निर्धारण की पूर्व-प्रचलित व्यवस्था यथावत रहेगी।

9 माइनर-इलेक्टिव विषय का चयन –

- 9.01 माइनर-इलेक्टिव विषय का स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए चयन पात्रता (Prerequisite) के आधार पर किया जाना है। सामान्यतः यह पाठ्यक्रम किसी विभाग/संकाय का नियमित पाठ्यक्रम होगा।
उदाहरणस्वरूप - विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान संकाय से 03 मेजर कोर्स चयनित करने के बाद 01 माइनर कोर्स 'इंडियन कांस्टिट्यूशन', जो कला संकाय के राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम/विभाग का विषय है चयनित कर सकता है अथवा विद्यार्थी 03 मेजर कोर्स विज्ञान संकाय से चयनित करने के साथ 01 माइनर विषय विज्ञान संकाय के दूसरे विभाग से भी चयनित कर सकता है।
- 9.02 स्नातक स्तर पर प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक किसी विषय का प्रश्नपत्र सेमेस्टर के अनुक्रम में माइनर विषय का प्रश्नपत्र होगा; उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र विषय के प्रथम सेमेस्टर का प्रश्नपत्र प्रथम सेमेस्टर के लिए माइनर होगा, द्वितीय सेमेस्टर का सम्बन्धित प्रश्नपत्र द्वितीय सेमेस्टर के लिए माइनर होगा, तृतीय सेमेस्टर का सम्बन्धित प्रश्नपत्र तृतीय सेमेस्टर के लिए माइनर होगा तथा अर्थशास्त्र विषय के चतुर्थ सेमेस्टर का प्रश्नपत्र चतुर्थ सेमेस्टर के लिए माइनर होगा।
- 9.03 माइनर विषयों के सन्दर्भ में प्रायोगिक-कार्य का प्राविधान नहीं होगा; अर्थात् यदि कोई विषय प्रायोगिक प्रकृति का है और उसके सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अंश के क्रेडिट क्रमशः 04 तथा 02 निर्धारित है तो विद्यार्थी मात्र 04 क्रेडिट के सैद्धांतिक अंश का ही माइनर प्रश्नपत्र के रूप में अध्ययन करेगा।
- 9.04 विद्यार्थी जिस विषय को मेजर प्रश्नपत्र के रूप में चयनित करेगा उसे माइनर विषय के रूप में चयनित नहीं कर सकेगा।
- 9.05 यदि विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में माइनर-इलेक्टिव विषय में अनुत्तीर्ण होने के उपरान्त प्रथम सेमेस्टर में उसके द्वारा चयनित माइनर प्रश्नपत्र में ही बैकलॉग परीक्षा देना चाहता है तो वह तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ऐसा कर सकेगा। परन्तु यदि विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में माइनर-इलेक्टिव विषय के प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है और वह द्वितीय सेमेस्टर में माइनर-इलेक्टिव विषय के प्रश्नपत्र की परीक्षा देना चाहता है तो उसे सम्बन्धित विषय

अथवा परिवर्तित विषय के द्वितीय सेमेस्टर में संचालित प्रश्नपत्र को ही माइनर प्रश्नपत्र के रूप में चयनित करते हुए इस प्रश्नपत्र की परीक्षा देना होगा। यही क्रम अग्रेतर सेमेस्टर के लिए भी मान्य होगा।

- 9.06 विभिन्न विषयों के पाठ्यचर्या के आधार पर स्नातक के विद्यार्थियों के लिए माइनर-इलेक्टिव प्रश्नपत्रों का सापेक्षिक क्रेडिट 4/5/6 हो सकता है।
- 9.07 स्नातक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार माइनर-इलेक्टिव विषय को 'ओपन-इलेक्टिव' वर्ग से भी चयनित कर सकते हैं।
- 9.08 परास्नातक के विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में अनिवार्यतः एक माइनर-इलेक्टिव/जेनेरिक-इलेक्टिव प्रश्नपत्र का चयन करना होगा। यह प्रश्नपत्र किसी अन्य संकाय का प्रश्नपत्र अथवा ओपन-इलेक्टिव वर्ग के विषय से सम्बन्धित हो सकता है।
- 9.09 (a) विद्यार्थी 4/5/6 क्रेडिट के माइनर-इलेक्टिव विषय/प्रश्नपत्र का चयन यू0जी0सी0/शिक्षा-मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित किसी ऑनलाइन प्लेटफार्म (जैसे NPTL, SWAYAM इत्यादि) से भी कर सकता है। इस स्थिति में उसे ऑनलाइन प्लेटफार्म से सम्बन्धित संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और शासनादेश संख्या 660/सत्तर-3-2023-08(21)/2022 दिनांक 02 मार्च 2023 की व्यवस्था के अनुक्रम में प्राप्त अंक-पत्र/प्रमाणपत्र की एक प्रति महाविद्यालय द्वारा नामित 'नोडल अधिकारी-ऑनलाइन शिक्षा' के माध्यम से अनिवार्यतः विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्त 'नोडल अधिकारी-ऑनलाइन शिक्षा' को उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा की स्थिति में उसे सम्बन्धित माइनर-इलेक्टिव विषय/प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा।
- (b) यदि महाविद्यालय धारा-9.09(a) की व्यवस्था अपने स्नातक/परास्नातक विद्यार्थी को उपलब्ध करना चाहते हैं तो उन्हें सम्बन्धित व्यवस्था की निगरानी एवं समन्वय के लिए महाविद्यालय स्तर पर किसी सक्षम शिक्षक को 'नोडल अधिकारी-ऑनलाइन शिक्षा' नियुक्त करना होगा।
- (c) महाविद्यालय स्तर पर नामित 'नोडल अधिकारी-ऑनलाइन शिक्षा' ऐसे समस्त विद्यार्थियों का डेटा-बेस रखेगा जो NPTL, SWAYAM पोर्टल के माध्यम से 4/5/6 क्रेडिट के माइनर-इलेक्टिव विषय/प्रश्नपत्र को चयनित करेंगे।
- (d) महाविद्यालय स्तर पर नामित 'नोडल अधिकारी-ऑनलाइन शिक्षा' प्रत्येक सेमेस्टर में परीक्षा-आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यार्थी का नाम, महाविद्यालय, सेमेस्टर, पाठ्यक्रम, रोल नंबर, चयनित प्रश्नपत्र का शीर्षक, सम्बन्धित क्रेडिट इत्यादि सूचनाओं से युक्त सूची विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्त 'नोडल अधिकारी-ऑनलाइन शिक्षा' को उपलब्ध कराएगा।
- 9.10 स्नातक स्तर पर उपलब्ध 'ओपन-इलेक्टिव' वर्ग के माइनर-इलेक्टिव विषयों की सूची निम्नवत प्रदर्शित है। यह सूची विषयों की उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में संशोधित की जा सकती है।

स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष के लिए उपलब्ध 05 क्रेडिट के माइनर-इलेक्टिव विषयों की सूची

SN	Subject	Course Code	Minor/Elective Paper	Prerequisite	Credit
1	Open Elective (2 nd Year)	M040301T	Artificial Intelligence	Open to all	5
2	Open Elective (2 nd Year)	M010302T	Digital Governance	Open to all	5
3	Open Elective (2 nd Year)	M010304T	Disaster Management	Open to all	5
4	Open Elective (1 st Year)	M040103T	History of Science and Technology in Ancient India	Open to all	5
5	Open Elective (1 st Year)	M010101T	Extension Activities and Rural Development	Open to all	5
6	Open Elective (1 st Year)	M040101T	Fundamentals of Information Technology	Open to all	5
7	Open Elective (1 st Year)	M010102T	History of Ayodhya	Open to all	5
8	Open Elective (1 st Year)	M010103T	Indian Constitution	Open to all	5
9	Open Elective (2 nd Year)	M010301T	Rural Local Governance in India	Open to all	5
10	Open Elective (1 st Year)	M040102T	Solid Waste Management	Open to all	5

11	Open Elective (2 nd Year)	M010303T	Tourism in Ayodhya	Open to all	5
12			सड़क एवं यातायात सुरक्षा	Open to all	5

10 स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-curricular) -

- 10.01 (a) स्नातक के विद्यार्थी के लिए प्रति सेमेस्टर के क्रम में निर्धारित 02 क्रेडिट के सहगामी-पाठ्यक्रम (Co-curricular) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
 (b) अनिवार्य सहगामी-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) का सेमेस्टर के अनुक्रम में वितरण निम्नवत है –

क्रम	वर्ष	सेमेस्टर	सहगामी-पाठ्यक्रम
1	प्रथम वर्ष	प्रथम सेमेस्टर	खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
		द्वितीय सेमेस्टर	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
2	द्वितीय वर्ष	तृतीय सेमेस्टर	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
		चतुर्थ सेमेस्टर:	शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
3	तृतीय वर्ष	पंचम सेमेस्टर	विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)
		षष्ठम सेमेस्टर	संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)

- 10.02 स्नातक स्तर पर प्रति-सेमेस्टर के क्रम में सहगामी-पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र (Co-curricular) Qualifying प्रकृति के होंगे। सहगामी-पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र को Qualify करने तथा निर्धारित क्रेडिट की पूर्ति के लिए 33% उत्तीर्णता अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 10.03 उपाधि की पूर्णता तथा प्राप्ति के लिए इन प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा परन्तु इन प्रश्नपत्रों के सापेक्ष निर्धारित 02 क्रेडिट को SGPA/CGPA गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 10.04 स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था सम्बन्धित संस्थान द्वारा की जाएगी।
- 10.05 चूँकि अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन से सम्बन्धित शैक्षिक संसाधनों/विषय-विशेषज्ञ की व्यवस्था के लिए महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है अतः महाविद्यालय वित्तीय आंकलन के उपरान्त अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में No-profit-No-Loss के आधार शुल्क-निर्धारण अपने स्तर से करेंगे।

11 स्नातक स्तर पर कौशल-विकास आधारित वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रम:

- 11.01 कौशल-विकास आधारित वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के पठन-पाठन/प्रशिक्षण के सम्बन्ध में महाविद्यालय जिले के पॉलिटेक्निक, आई0टी0आई0 अथवा अन्य समकक्ष राजकीय प्रशिक्षण संस्थान, उद्योग, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकते हैं। हस्ताक्षरित अनुबन्ध की एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को जमा करनी होगी।

परन्तु महाविद्यालयों से अपेक्षित है कि कौशल-विकास आधारित वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के कुशल संचालन की दृष्टि से अपने परिसर में विशेषज्ञता युक्त कौशल-विकास (Skill Development) से सम्बन्धित क्लस्टर (Cluster) अवश्य विकसित करें और छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने

निकट के महाविद्यालय से कौशल-विकास के सम्बन्ध में MoU (अनुबन्ध पत्र) हस्ताक्षरित करें, जिसमें प्रशिक्षण-कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि (Mode of Operation) स्पष्टता के साथ अंकित हो।

- 11.02 चूँकि कौशल-विकास (Skill Development)/ वोकेशनल प्रशिक्षण-कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है अतः महाविद्यालय इस सम्बन्ध में आवश्यक संसाधन के आंकलन के उपरान्त कौशल-विकास से सम्बंधित प्रशिक्षण का शुल्क-निर्धारण No-profit-No-Loss के आधार पर अपने स्तर से करेंगे।
- 11.03 वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय की अध्ययन समिति (BoS) द्वारा सत्र 2022-23 एवं अग्रेतर सत्रों हेतु निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध विषयों को महाविद्यालयों/परिसर के स्नातक पाठ्यक्रमों में संचालित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है।

सत्र 2022-23 एवं अग्रेतर सत्रों में प्रवेशित छात्रों के लिए अनुमोदित वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सूची

SN	Title of Approved Vocational Courses	Paper Code (Theory)	Paper Code (Practical)
1	Tailoring and Embroidery	I010101T	I010102P
2	Fashion Designing	I030101T	I030102P
3	Nutrition and Dietician	I050101T	I050102P
4	Food Processing	I060101T	I060102P
5	Cookery	I070101T	I070102P
6	Beautician	I090101T	I090102P
7	Interior Design and Decoration	I100101T	I100102P
8	Soft Toys Making	I110101T	I110102P
9	Yoga and Fitness	I140101T	I140102P
10	Information Communication Technology (ICT)	I150101T	I150102P
11	Computer Application	I160101T	I160102P
12	Web Designing	I180101T	I180102P
13	Desk Top Publishing (DTP)	I190101T	I190102P
14	Typewriting (Hindi and English)	I220101T	I220102P
15	Sales and Marketing Management	I240101T	I240102P
16	Computerized Accountancy	I250101T	I250102P
17	Horticulture and Garden Supervising	I300101T	I300102P
18	Crop Production and Management	I310101T	I310102P
19	Agrobusiness	I320101T	I320102P
20	Beekeeping Training and Management	I330101T	I330102P
21	Organic Farming	I350101T	I350102P
22	Fisheries	I360101T	I360102P
23	Textile Design	I410101T	I410102P
24	Sculpture	I420101T	I420102P
25	Painting and Wall writing	I430101T	I430102P
26	Community Health Care	I460101T	I460102P
27	Hospital and Health Care Management	I480101T	I480102P
28	Tourism & Tour Operation	I490101T	I490102P
29	Electrician	I510101T	I510102P
30	Plumbaring	I520101T	I520102P
31	Carpentry	I530101T	I530102P
32	Photography and Videography	I540101T	I540102P
33	Refrigeration and Air Conditioning	I550101T	I550102P
34	Clinical Psychology	I560101T	I560102P
35	Clinical Microbiology	I570101T	I570102P
36	Light Music and Folk Music	I590101T	I590102P
37	Folk Music of Avadh	I600101T	I600102P
38	Communicative Skill for English Journalism	I610101T	I610102P
39	Home Decoration Metal Sheet Cutting	I620101T	I620102P

40	Welding and joining	I630101T	I630102P
41	Automobile Repairing	I640101T	I640102P
42	Cyber Security	I650101T	I650102P
43	Astrological Science	I660101T	I660102P
44	Mushroom and Alovera Production	I670101T	I670102P
45	Pottery	I680101T	I680102P
46	Radio Jockey	I690101T	I690102P
47	Event Management	I700101T	I700102P
48	Dairy Technology	I710101T	I710102P

नोट: वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से सम्बन्धित उपरोक्त तालिका के बिन्दु 2, 9, 17, 20, 28, 47 एवं 48 पर अंकित वोकेशनल पाठ्यक्रमों के संचालन के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के IGNOU Centre से भी MoU हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

- 11.04 महाविद्यालय तालिका में सूचीबद्ध वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में से अधिकतम 15 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के क्लस्टर परिसर में संचालित कर सकते हैं। यदि कोई महाविद्यालय 15 से अधिक वोकेशनल पाठ्यक्रम संचालित करना चाहता है तो यथोचित कारणों के साथ संसाधनों की उपलब्धता का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए पृथक रूप से क्लस्टर संचालन की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करेगा।
- 11.05 सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना पत्रांक लो0अ0वि0/शैक्ष0/4060/2021 दिनांक 30-11-2021 में सूचीबद्ध वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चयन हेतु यथावत उपलब्ध रहेंगे।
- 11.06 कौशल-विकास आधारित वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय साप्ताहिक आधार पर न्यूनतम आधे या एक दिन का प्रशिक्षण-कार्यक्रम संचालित करेंगे।
- 11.07 धारा-11.03 की व्यवस्था के क्रम में महाविद्यालय वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण विषय-वस्तु (Study/Training Course Content/Module) का निर्धारण अपने स्तर पर करेंगे तथा अपने यहाँ संचालित किये जाने वाले वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सत्रवार सूची तथा पाठ्यक्रम संरचना अनिवार्यतः 15 सितम्बर तक विश्वविद्यालय को अध्ययन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।
- 11.08 संचालन की दृष्टि से वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं –
(a) एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले individual nature के पाठ्यक्रम
(b) एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ-साथ बढ़ती जाएगी अर्थात progressive nature के पाठ्यक्रम
- 11.09 वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 100 अंक के सापेक्ष निम्नवत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा -
(a) विद्यार्थी के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग आधारित) कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में किया जायेगा
(b) विद्यार्थी के सैद्धांतिक (अध्ययन आधारित) कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में किया जायेगा
(c) वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए 100 अंक के सापेक्ष 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा
- 12 प्रवेश, निकास एवं पुनःप्रवेश / डिग्री पूर्ण करने की अवधि:**
- 12.01 विद्यार्थी को स्नातक पाठ्यक्रम का एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट

अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

- 12.02 स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को 06 सेमेस्टर तथा परास्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को 04 सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही सम्बन्धित डिग्री प्राप्त होगी।
- 12.03 स्नातक/परास्नातक का विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा।
- 12.04 Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को स्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा-परिणाम घोषणा के उपरान्त धारा-19 की व्यवस्था के अधीन संकाय/विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।
- 12.05 स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम के किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।
- 12.06 विद्यार्थी को 'Certificate in Faculty' प्राप्त करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष न्यूनतम 46 संचित क्रेडिट (प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में पृथक-पृथक न्यूनतम 23-23 क्रेडिट) सहित इस प्रतिबन्ध के साथ उत्तीर्ण करना होगा कि प्रत्येक सेमेस्टर में उसने तीन प्रमुख विषय, एक इलेक्टिव/माइनर विषय, एक सह-पाठ्यक्रम एवं एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो।
- 12.07 विद्यार्थी को 'Diploma in Faculty' प्राप्त करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम का द्वितीय वर्ष इस प्रतिबन्ध के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा कि द्वितीय वर्ष तक न्यूनतम 92 संचित क्रेडिट के साथ विद्यार्थी ने तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर पृथक-पृथक न्यूनतम 23-23 क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण कर लिया हो तथा प्रत्येक सेमेस्टर में उसने तीन प्रमुख विषय, एक इलेक्टिव/माइनर विषय, एक सह-पाठ्यक्रम एवं एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो।
- 12.08 विद्यार्थी को 'Bachelor in Faculty' प्राप्त करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम का तृतीय वर्ष इस प्रतिबन्ध के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा कि तृतीय वर्ष तक न्यूनतम 132 संचित क्रेडिट के साथ विद्यार्थी ने पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर को पृथक-पृथक न्यूनतम 20-20 क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण कर लिया हो तथा प्रत्येक सेमेस्टर में उसने दो प्रमुख विषय, एक सह-पाठ्यक्रम एवं एक Industrial Training/ Survey/ Minor Research Project का सक्रिय प्रतिभागिता के साथ अध्ययन किया हो।
- 12.09 विद्यार्थी को Bachelor (Research) in Faculty प्राप्त करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम का चौथा वर्ष (परास्नातक का प्रथम वर्ष) इस प्रतिबन्ध के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा कि चतुर्थ वर्ष तक न्यूनतम 184 संचित क्रेडिट के साथ विद्यार्थी ने सातवें एवं आठवें सेमेस्टर को पृथक-पृथक न्यूनतम 26-26 क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण कर लिया हो तथा प्रत्येक सेमेस्टर में उसने चयनित विषय के चार प्रश्नपत्र, एक माइनर/ जेनरिक इलेक्टिव विषय एवं एक Industrial Training/ Survey/ Minor Research Project का सक्रिय प्रतिभागिता के साथ अध्ययन किया हो।
- 12.10 विद्यार्थी को Master in Faculty प्राप्त करने के लिए प्रवेश के वर्ष को सम्मिलित करते हुए परास्नातक पाठ्यक्रम का दूसरा वर्ष इस प्रतिबन्ध के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा कि पांचवें वर्ष तक न्यूनतम 232 संचित क्रेडिट के साथ विद्यार्थी ने नवें एवं दसवें सेमेस्टर को पृथक-पृथक न्यूनतम 24-24 क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण कर लिया हो तथा प्रत्येक सेमेस्टर में उसने चयनित विषय के चार प्रश्नपत्र एवं एक Industrial Training/ Survey/ Minor Research Project का सक्रिय प्रतिभागिता के साथ अध्ययन किया हो।
- 12.11 विद्यार्थी को Post Graduate Diploma in Research प्राप्त करने के लिए शोध पाठ्यक्रम से सम्बंधित सेमेस्टर को इस प्रतिबन्ध के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा कि छठवें वर्ष तक न्यूनतम 248 संचित क्रेडिट के साथ विद्यार्थी ने ग्यारहवें सेमेस्टर को न्यूनतम 16 क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण कर लिया हो तथा इस सेमेस्टर में

- उसने चयनित विषय के दो प्रश्नपत्र, Research Methodology का एक प्रश्नपत्र एवं एक Industrial Training/ Survey/ Minor Research Project का सक्रिय प्रतिभागिता के साथ अध्ययन किया हो।
- 12.12 विद्यार्थी को सातवें और आठवें वर्ष में (अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में) अनुसंधान सम्बन्धी Research Thesis जमा करना होगा जिसके मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर उसे पी-एच0डी0 की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 12.13 वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर सत्र 2022-23 तथा सत्र 2023-24 में 'चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' (CBCS) संरचना से आच्छादित परास्नातक/शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों के सन्दर्भ में धारा 12.08, धारा 12.09 एवं धारा 12.10 के अंतर्गत आवश्यक क्रेडिट की पूर्ति काल्पनिक (Notional) आधार पर की जाएगी।
- 12.14 स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम के किसी प्रश्नपत्र/सेमेस्टर के लिए आवश्यक उत्तीर्णता क्रेडिट/ग्रेड प्राप्त करने में असफल विद्यार्थी सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक/प्रचलित व्यवस्था के क्रम में सम अथवा विषम सेमेस्टर की आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए सम्बन्धित प्रश्नपत्र में बैकलॉग परीक्षा (Backlog Examination) दे सकेगा।
- 12.15 विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रम में जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट के साथ न्यूनतम उत्तीर्णता अंक प्राप्त करेगा, उसी में उसको Prerequisite के आधार पर स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- 12.16 यदि विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रम में तीन वर्ष की अवधि में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है किन्तु न्यूनतम उत्तीर्णता अंक प्राप्त कर लेता है, तो उसे बैचलर ऑफ़ लिबरल एजुकेशन की डिग्री प्रदान की जा सकती है। इस डिग्री के साथ वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
- 13 स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रश्न-पत्र का प्रारूप एवं परीक्षा व्यवस्था –**
- 13.01 स्नातक पाठ्यक्रम के विषयों यथा – 03 मेजर विषय, 01 माइनर-इलेक्टिव विषय, 01 वोकेशनल विषय एवं 01 अनिवार्य को-करीकुलर विषय से सम्बन्धित प्रत्येक प्रश्नपत्र की परीक्षा 100 अंक के सापेक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।
- 13.02 परास्नातक पाठ्यक्रम के विषयों यथा – विषय से सम्बन्धित मेजर प्रश्नपत्रों तथा माइनर-इलेक्टिव प्रश्नपत्र की परीक्षा 100 अंक के सापेक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।
- 13.03 स्नातक तृतीय वर्ष एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में Industrial Training/ Survey/ Minor Research Project से सम्बन्धित दो क्रमागत सेमेस्टर के संयुक्त Report/Dissertation का मूल्यांकन 100 अंकों में होगा।
- 13.04 स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम के प्रायोगिक विषयों से सम्बन्धित प्रायोगिक-कार्य/प्रश्नपत्र की परीक्षा 100 अंकों के सापेक्ष संपन्न करायी जाएगी।
- 13.05 स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम के मेजर विषयों/प्रश्नपत्रों तथा माइनर-इलेक्टिव विषय/प्रश्नपत्र की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन के आधार पर की संपन्न करायी जाएगी।

- 13.06 महाविद्यालय को सतत आन्तरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत प्रत्येक सेमेस्टर में धारा-13.06 में उल्लिखित प्रश्नपत्रों में 12.5 अंकों की 03 आन्तरिक परीक्षाएं (सेशनल-टेस्ट) संपन्न करानी होंगी। आन्तरिक परीक्षाओं की समयावधि 1:00 घंटे होगी।
- 13.07 सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के इन 03 आन्तरिक मूल्यांकन में से 02 आन्तरिक मूल्यांकन 12.5 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 12.5 अंकों का 01 आन्तरिक मूल्यांकन असाइनमेंट (Assignment) एवं असाइनमेंट-प्रेजेंटेशन (Assignment Presentation) के रूप में हो सकता है।
- 13.08 प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के 03 आन्तरिक मूल्यांकन में से विद्यार्थी का 02 आन्तरिक मूल्यांकन की परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा सम्बन्धित प्रश्नपत्र में उसकी बाह्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता अनिवार्यतः समाप्त हो जाएगी।
- 13.09 शैक्षणिक समय रेखा के अन्तर्गत अंकित समयावधि के अनुक्रम में सम्पन्न कराये जाने वाले प्रत्येक आन्तरिक मूल्यांकन के उपरान्त 07 दिनों के लिए विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अंकों को अपलोड करने की प्रक्रिया खुली रहेगी; इसी अवधि में अंकों को अपलोड करना होगा।
- 13.10 सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के इन 03 आन्तरिक मूल्यांकन में से 02 सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों को विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराये गए बाह्य मूल्यांकन के 75 अंकों के साथ जोड़कर 100 अंकों के सापेक्ष सम्बन्धित प्रश्नपत्र में ग्रेड निर्धारण किया जायेगा।
- 13.11 सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित परीक्षा/ मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएं महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर निम्नवत निर्धारित की जायेंगी –
- प्रत्येक विषय की सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित 12.5 अंकों की लिखित परीक्षा (सेशनल-टेस्ट) सम्बन्धित विषयाध्यापक को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अंतर्गत सम्पन्न करानी होगी।
 - परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होगी तथा प्रश्न-पत्र का प्रारूप एवं प्रश्नों की संख्या विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित की जाएगी।
 - विषयाध्यापक विद्यार्थी द्वारा अंकित उत्तरों का सापेक्षिक मूल्यांकन करेंगे अर्थात् यदि विद्यार्थी ने किसी प्रश्न का आधा उत्तर सही लिखा है तो उसे उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का आधा प्रदान किया जायेगा।
 - सेशनल-टेस्ट के लिए विद्यार्थी प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय के लिए पृथक-पृथक रूप से एक 05 पृष्ठ का रजिस्टर बनाएगा जिसपर वह प्रश्नों के उत्तर अंकित करेगा। प्रत्येक विषय के रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर विद्यार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से अपना नाम, विषय/प्रश्न-पत्र का शीर्षक, रोल नम्बर, महाविद्यालय रजिस्ट्रेशन नम्बर (यदि है तो) और विश्वविद्यालय यू0आई0एन0 अंकित किया जायेगा। टेस्ट के उपरान्त यह रजिस्टर महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन हेतु जमा करा लिया जायेगा।
 - मूल्यांकन के उपरान्त विद्यार्थी को उत्तर-पुस्तिका अपने अंकों का वितरण देखने के लिए प्रदर्शित की जाएगी तथा अवलोकन के उपरान्त उसकी सहमति तथा हस्ताक्षर भी उत्तर-पुस्तिका पर प्राप्त किये जायेंगे। विद्यार्थी को आवंटित अंकों के सम्बन्ध में यदि उसकी किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो विषय के अध्यापक द्वारा उसका निराकरण किया जायेगा।
 - प्रश्न-पत्र की भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा हिन्दी-अंग्रेजी दोनों) विद्यार्थी समूह की भाषाई सुविधा के आधार पर विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित की जाएगी।
 - विषयाध्यापक द्वारा सेशनल-टेस्ट की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन महाविद्यालय परिसर में ही किया जायेगा। मूल्यांकन-कार्य सेशनल-टेस्ट की समाप्ति के 03 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से संपन्न करा लिया जायेगा।

- (h) सेशनल-टेस्ट की समय-सारिणी, प्रश्न-पत्र निर्माण, परीक्षा-कक्ष की व्यवस्था, टेस्ट के उपरान्त निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन कार्य, निर्धारित अवधि में अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना एवं अन्य सम्बन्धित परीक्षा कार्यों की निगरानी महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं करेंगे अथवा इस कार्य के लिए किसी सक्षम प्राध्यापक को नियुक्त करते हुए इसकी सूचना परीक्षा-नियंत्रक को उपलब्ध करायेंगे।
- (i) सेशनल-टेस्ट की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अंक विश्वविद्यालय को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा। सम्बन्धित व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रति सेमेस्टर के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पृथक रूप से अधिसूचना जारी की जाएगी।

13.12 स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम के मेजर विषयों और माइनर-इलेक्टिव विषय के वाह्य-मूल्यांकन से सम्बन्धित 75 अंकों की परीक्षा (एण्ड-सेमेस्टर-परीक्षा) के लिए व्यवस्था सामान्य स्थितियों में निम्नानुसार होगी –

- (a) वाह्य-मूल्यांकन से सम्बन्धित परीक्षा (एण्ड-सेमेस्टर-परीक्षा) प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले मुद्रित प्रश्न-पत्र के माध्यम से संपन्न करानी होगी।
- (b) वाह्य-मूल्यांकन से सम्बन्धित परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार का होगा –
- (i) प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित अंक 75 होंगे।
- (ii) प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समयावधि 02:00 घंटे होगी।
- (iii) भाषा विषयों को छोड़कर स्नातक स्तर पर प्रश्न-पत्र द्विभाषीय अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में मुद्रित होंगे। परास्नातक स्तर पर प्रश्नपत्र की भाषा सम्बन्धित अध्ययन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (iv) प्रश्न-पत्र 03 खण्डों, क्रमशः – खण्ड-अ (Section-A), खण्ड-ब (Section-B) तथा खण्ड-स (Section-C), में निम्न प्रकार से विभाजित होगा।

खण्ड-अ (Section-A)	इस खण्ड में 10 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में अंकित करने होंगे।
खण्ड-ब (Section-B)	इस खण्ड में 07 प्रश्न मुद्रित होंगे, जिनमें से मात्र 04 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में अंकित करने होंगे।
खण्ड-स (Section-C)	इस खण्ड में 04 प्रश्न मुद्रित होंगे, जिनमें से मात्र 02 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10.5 अंक निर्धारित होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 450 शब्दों में अंकित करने होंगे।

- (c) परास्नातक पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में यदि किसी विषय विशेष की अध्ययन समिति (BoS) धारा 13.12(b) से भिन्न प्रारूप प्रस्तावित करती है तो उसपर नियमानुसार विचार किया जायेगा।
- (d) परीक्षा से सम्बन्धित सादी उत्तर-पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा-पूर्व उपलब्ध करायी जायेंगी। उत्तर-पुस्तिका में मुख्य-पृष्ठ को छोड़कर 20 सादे पृष्ठ होंगे, जिनपर उपरोक्त तालिका की प्रश्न व्यवस्था के क्रम में उत्तर अंकित करने होंगे।
- (e) परीक्षा सम्पादन की प्रक्रिया के लिए शासनदेश/विश्वविद्यालय-नियमावली के अनुक्रम में निर्धारित पारिश्रमिक/यात्रा-भत्ता प्रदान किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

(f) परीक्षा से सम्बन्धित मूल्यांकन कार्य 'केंद्रीकृत मूल्यांकन व्यवस्था' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न कराया जायेगा।

13.13 प्रायोगिक परीक्षा मात्र मेजर विषय से सम्बन्धित प्रायोगिक विषयों/प्रश्नपत्रों में संपन्न करायी जायेंगी। माइनर/इलेक्टिव विषय में प्रायोगिक परीक्षा का प्राविधान नहीं होगा। सम्बन्धित मेजर विषय में प्रायोगिक परीक्षा से सम्बन्धित व्यवस्था निम्नानुसार होगी –

(a) प्रायोगिक विषय/प्रश्नपत्र की प्रायोगिक-परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे।

(b) प्रायोगिक-परीक्षा दो भागों में संपन्न करायी जाएगी।

(i) प्रथम भाग में सतत आन्तरिक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्बन्धित प्रायोगिक-कार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहे विषयाध्यापक द्वारा 25 अंकों की पूर्णतः आन्तरिक परीक्षा संपन्न करायी जाएगी।

(ii) द्वितीय भाग के अंतर्गत 75 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा (वाह्य परीक्षा) के लिए प्राचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर नजदीकी संस्थान अथवा उसी विभाग से किसी अन्य शिक्षक को वाह्य-परीक्षक नियुक्त किया जायेगा। आन्तरिक परीक्षक के रूप में सम्बन्धित प्रायोगिक-कार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहे अनुमोदन प्राप्त विषयाध्यापक ही नियुक्त किये जायेंगे। परीक्षा वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा संपन्न करायी जाएगी।

(c) प्रायोगिक-परीक्षा की निगरानी की क्रियाविधि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित की जाएगी।

(d) प्रायोगिक-परीक्षा के अंकों (आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षा के लिए पृथक-पृथक) को प्रायोगिक-परीक्षा के ही दिन आन्तरिक परीक्षक की आई0डी0 प्रयुक्त करते हुए विश्वविद्यालय को ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

(e) प्रायोगिक-परीक्षा के सम्पादन की प्रक्रिया के लिए शासनादेश/विश्वविद्यालय-नियमावली के अनुक्रम में निर्धारित पारिश्रमिक/भत्ता प्रदान किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

(f) प्राचार्य द्वारा परीक्षा के उपरान्त प्रायोगिक परीक्षा के वाह्य तथा आन्तरिक परीक्षकों की सूची तथा पारिश्रमिक-बिल, परीक्षक का नाम, पता, पैन-नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, IFSC कोड इत्यादि आवश्यक सूचनाओं के साथ, ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय को पारिश्रमिक/भत्ता के त्वरित भुगतान एवं अन्य कार्यालयीय प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाएगी।

13.14 स्नातक पाठ्यक्रमों के वोकेशनल विषय की परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 100 होगा। वोकेशनल विषय से सम्बन्धित प्रशिक्षण (ट्रेनिंग आधारित) कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में किया जायेगा तथा सैद्धांतिक (अध्ययन आधारित) कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में किया जायेगा। वोकेशनल विषय से सम्बन्धित परीक्षा व्यवस्था निम्नानुसार होगी –

(a) सम्बन्धित सेमेस्टर के अंत में महाविद्यालय द्वारा वोकेशनल विषय के प्रशिक्षण कार्य एवं सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा पृथक-पृथक रूप से अपने स्तर पर सम्पन्न करायी जाएगी।

(b) प्रशिक्षण कार्य की परीक्षा के लिए महाविद्यालय आन्तरिक स्तर पर प्रशिक्षणकर्ता एवं एक सक्षम अध्यापक की संयुक्त टीम नियुक्त करेंगे, जिनके द्वारा प्रशिक्षण कार्य का 60 अंकों के सापेक्ष मूल्यांकन किया जायेगा।

(c) सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा के लिए महाविद्यालय द्वारा धारा 13.14(b) में निर्धारित टीम के माध्यम से 40 अंकों का एक प्रश्न-पत्र निर्मित करना होगा। इस प्रश्न-पत्र में 05 वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर विद्यार्थी को प्रति प्रश्न अधिकतम 75-100 शब्दों में अंकित करना होगा। परीक्षा की निर्धारित अवधि 01:00 घंटे होगी।

(d) वोकेशनल विषय के सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा के लिए अन्य व्यवस्थाएं महाविद्यालय द्वारा आन्तरिक स्तर पर निम्नवत् निर्धारित की जायेंगी –

- (i) वोकेशनल विषय के सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अंतर्गत धारा 13.14(b) में निर्धारित टीम द्वारा धारा 13.11(d) की व्यवस्था के अधीन सम्पन्न करायी जाएगी।
- (ii) मूल्यांकन कार्य धारा 13.14(b) में निर्धारित टीम द्वारा संयुक्त रूप से धारा 13.11(e) की व्यवस्था के अधीन किया जायेगा। विद्यार्थी को आवंटित अंकों के सम्बन्ध में यदि उसकी किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो धारा 13.14(b) में वर्णित टीम द्वारा उसका निराकरण किया जायेगा।
- (iii) परीक्षा एवं मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएं धारा 13.11(f),(g),(h) तथा (i) की व्यवस्था के अनुरूप सम्पादित की जायेंगी।

13.15 स्नातक पाठ्यक्रमों के अनिवार्य को-करीकुलर विषय की वाह्य परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 100 होगा। परीक्षा प्रारूप निम्नवत होगा –

- (a) अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहु-विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी।
- (b) सम्बन्धित प्रश्न-पत्र द्विभाषीय होगा अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में मुद्रित होगा।
- (c) अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर के अन्त में निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाली मुद्रित प्रश्न-पुस्तिका (Question Booklet) एवं ओ0एम0आर0 (OMR) के माध्यम से सम्पन्न होगी।
- (d) प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न मुद्रित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प उत्तर होंगे, जिनमें से मात्र 01 उत्तर सही होगा। विद्यार्थी को सही उत्तर ओ0एम0आर0 (OMR) शीट पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंकित करना होगा।
- (e) प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के लिए 01 अंक प्रदान किया जायेगा। गलत उत्तर के सापेक्ष ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) का प्राविधान नहीं होगा।
- (f) परीक्षा के लिए निर्धारित समयावधि 02:00 घन्टे होगी।

14 विद्यार्थी उपस्थिति:

- 14.01 किसी स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रति प्रश्न-पत्र के क्रम में निर्धारित क्रेडिट की पूर्ति के लिए सम्बन्धित प्रश्न-पत्र के कुल निर्धारित व्याख्यानों/ प्रायोगिक-सेशन के सापेक्ष विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 14.02 परीक्षा आवेदन पत्र के अग्रसारण/सत्यापन के समय महाविद्यालय के प्राचार्य को विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति सत्यापित करनी होगी।
- 14.03 जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% से कम होगी, ऐसे विद्यार्थियों के सम्बन्ध में महाविद्यालय परीक्षा पूर्व अधिसूचना जारी करते हुए उनके परीक्षा आवेदन पत्रों को सत्यापित नहीं करेगा।

15 ग्रेड (Grade) आधारित मूल्यांकन तथा उत्तीर्णता-श्रेणी (Division) निर्धारण:

- 15.01 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा संस्तुत GUIDELINES ON ADOPTION OF CHOICE BASED CREDIT SYSTEM में प्राविधानित व्यवस्था को मानक मानते हुए समस्त स्नातक/परास्नातक/शोध विषयों में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाले अंकों को निरपेक्ष-ग्रेडिंग (Absolute grading) के अन्तर्गत 10 बिंदु आधारित ग्रेडिंग प्रणाली (10 point based grading system) का उपयोग करते हुए Letter Grade/Grade point/Credit point/SGPA/CGPA में निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा।

Marks (%)	Letter Grades	Description	Grade Point (Original Attempt)
-----------	---------------	-------------	--------------------------------

91 – 100	O	Outstanding	10
81 – 90	A+	Excellent	9
71 – 80	A	Very Good	8
61 – 70	B+	Good	7
51 – 60	B	Above Average	6
41 – 50	C	Average	5
33 – 40	D	Pass	4
0 – 32	F	Fail	0
AB (Absent)	AB	Absent	0
-	Q	Qualified	-
-	NQ	Not Qualified	-

- 15.02 स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 100 अंक के किसी सैद्धान्तिक/प्रायोगिक प्रश्न-पत्र को उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी को न्यूनतम सुरक्षित अंक 33 प्रतिशत/04 ग्रेड पॉइंट/ डी-ग्रेड (D-Grade) प्राप्त करना आवश्यक होगा। स्नातक स्तर पर Co-curricular प्रश्नपत्र तथा Research Project/Industrial Training/Survey Report को Qualifying प्रश्नपत्रों के रूप में मान्यता होगी। Qualifying प्रश्नपत्रों में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड प्रदान किया जायेगा।
- 15.03 स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के किसी सैद्धान्तिक/प्रायोगिक प्रश्न-पत्र के लिए एफ-ग्रेड (F-Grade) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उस प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। अनुत्तीर्णता का प्रश्नपत्र अग्रेतर प्रक्रिया के सन्दर्भ में बैकलॉग प्रश्नपत्र के रूप में जाना जायेगा।
- 15.04 प्रश्नपत्र अनुत्तीर्णता की स्थिति में यदि विद्यार्थी धारा-17 के क्रम में कक्षोन्नति की पात्रता धारित करता है तो वह सम्बन्धित प्रश्न-पत्र (बैकलॉग प्रश्नपत्र) उत्तीर्ण करने के लिए अगली सम/विषम सेमेस्टर परीक्षा (जैसी भी स्थिति हो) में पुनः सम्मिलित हो सकेगा।
- 15.05 स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी-उत्तीर्णता प्रतिशत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति-सेमेस्टर 02 अंकों के कृपांक (Grace Marks) का प्राविधान किया जा सकता है। वोकेशनल विषय के प्रश्नपत्र में कृपांक का प्राविधान नहीं होगा।
- 15.06 धारा 15.05 के क्रम में कृपांक के आधार पर उत्तीर्णता श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी स्वर्ण-पदक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 15.07 स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम के किसी सेमेस्टर की उत्तीर्णता के लिए विद्यार्थी को उस सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 60% क्रेडिट सहित प्रति प्रश्नपत्र 04 ग्रेड पॉइंट के साथ 04 पॉइंट का SGPA (Semester Grade Point) अर्जित करना आवश्यक होगा।
- 15.08 स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम की वार्षिक उत्तीर्णता के लिए विद्यार्थी को धारा-15.07 की पूर्ति के साथ न्यूनतम 04 पॉइंट का CGPA (Cumulative Grade Point) प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 15.09 विद्यार्थी द्वारा किसी प्रश्नपत्र में 75% उपस्थिति की पूर्ति के साथ प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण करने पर उस प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित क्रेडिट उसे प्राप्त हो जायेंगे।
- 15.10 किसी पाठ्यक्रम (स्नातक/परास्नातक) के सन्दर्भ में 'सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (SGPA) और 'कम्युलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज (CGPA)' की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी –
- (i) 'सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (SGPA)' की गणना के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा-

विद्यार्थी द्वारा किसी सेमेस्टर के प्रश्न-पत्रों में प्राप्त किये गए ग्रेड-पॉइंट और निर्धारित क्रेडिट की संख्या के गुणन के योगफल और प्रश्न-पत्रों के लिए निर्धारित क्रेडिट के योगफल का अनुपात 'सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (SGPA)' होगा; अर्थात्

$$SGPA S_j = \frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i},$$

जहां C_i , i^{th} प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित क्रेडिट-संख्या है और G_i , विद्यार्थी द्वारा i^{th} प्रश्न-पत्र में प्राप्त किया गया ग्रेड प्वाइंट है।

- (ii) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज (SGPA) की गणना की प्रक्रिया निम्न-तालिका के उदहारण से समझी जा सकती है –

Paper	Credit Assigned for a paper (C_i)	Letter Grade	Grade Point	Credit Point
Paper 1	3	A	8	3x8=24
Paper 2	4	B+	7	4x7=28
Paper 3	3	B	6	3x6=18
Paper 4	3	O	10	3x10=30
Paper 5	3	C	5	3x5=15
Paper 6	4	B	6	4x6=24
Summation (Σ)	$\Sigma C_i = 20$	-	-	$\Sigma(C_i \times G_i) = 139$
उपरोक्त तालिका के उदहारण के क्रम में $SGPA = 139/20 = 6.95 = 7.0$ होगा।				

- (iii) 'कम्युलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज (CGPA)' की गणना विद्यार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम (स्नातक/परास्नातक) के समस्त सेमेस्टर के SGPA एवं क्रेडिट के आधार पर की जा सकती है; अर्थात्

$$CGPA = \frac{\sum(C_j \times S_j)}{\sum C_j}$$

जहां S_j j^{th} सेमेस्टर का SGPA है और C_j , j^{th} सेमेस्टर में क्रेडिट का कुलयोग है।

- (iv) कम्युलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज (CGPA) की गणना की प्रक्रिया निम्नांकित उदहारण से समझी जा सकती है –

प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में यदि विद्यार्थी के समस्त प्रश्न-पत्रों के लिए निर्धारित क्रेडिट का कुलयोग 20 और सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (SGPA) 6.9 है तथा द्वितीय सेमेस्टर समस्त प्रश्न-पत्रों के लिए निर्धारित क्रेडिट का कुलयोग 22 और सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (SGPA) 7.8 है तो प्रथम वर्ष के लिए विद्यार्थी का कम्युलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज (CGPA) निम्नवत होगा -

$$CGPA = \frac{20 \times 6.9 + 22 \times 7.8}{42} = 7.37 = 7.4$$

इसी प्रकार यदि विद्यार्थी को स्नातक के समस्त 06 सेमेस्टर में निम्न तालिका के अनुसार क्रेडिट और SGPA प्राप्त होता है तो

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6
Credit=20	Credit=22	Credit=25	Credit=26	Credit=26	Credit=26
SGPA=6.9	SGPA=7.8	SGPA=5.6	SGPA=6.0	SGPA=6.3	SGPA=8.0

उपरोक्त तालिका के क्रम में विद्यार्थी का स्नातक उपाधि के लिए अंतिम रूप से निर्धारित CGPA निम्नवत होगा –

$$CGPA = \frac{20 \times 6.9 + 22 \times 7.8 + 25 \times 5.6 + 26 \times 6.0 + 26 \times 6.3 + 25 \times 8.0}{145} = 6.68 = 6.7$$

- 15.11 SGPA और CGPA को दशमलव के 01 बिंदु तक पूर्णांकित करते हुए अंक-पत्रों में अंकित किया जाएगा।
- 15.12 विद्यार्थी द्वारा अर्जित CGPA को निम्नलिखित प्रकार से समतुल्य प्रतिशत में परिवर्तित किया जायेगा।
समतुल्य प्रतिशत = $CGPA \times 10.0$
- 15.13 विद्यार्थी द्वारा उपाधि के लिए अंतिम रूप से अर्जित CGPA के आधार पर उसे निम्नानुक्रम में उत्तीर्णता-श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी –
- | | |
|---------------------|--|
| 4.0 से 4.9 CGPA तक | तृतीय श्रेणी (III Division) |
| 5.0 से 6.4 CGPA तक | द्वितीय श्रेणी (II Division) |
| 6.5 से 7.9 CGPA तक | प्रथम श्रेणी (I Division) |
| 8.0 से 10.0 CGPA तक | सम्मान सहित प्रथम श्रेणी (I Division with Distinction) |
- 16 पाठ्यक्रम उत्तीर्णता अवधि :**
- 16.01 कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय के अन्तर्गत 06 सेमेस्टर के 'स्नातक पाठ्यक्रम' के लिए सामान्य स्थितियों में, निरन्तरता के साथ पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने की अवधि 03 वर्ष है तथा 'परास्नातक पाठ्यक्रम' के लिए यह अवधि 02 वर्ष है।
- 16.02 धारा 16.01 से भिन्न स्थिति में स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को धारा-12.05 की व्यवस्था के अधीन सम्बन्धित सेमेस्टर्स की परीक्षाओं को न्यूनतम सुरक्षित अंकों के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
- 16.03 विद्यार्थी द्वारा स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्णता के लिए निर्धारित अवधि में किसी स्तर पर पाठ्यक्रम-निकासी का विकल्प चयनित किये जाने और कुछ अन्तराल के उपरान्त पाठ्यक्रम-प्रविष्टि के विकल्प के साथ पुनः-प्रवेश प्राप्त करने पर उसे धारा-12.05 की व्यवस्था के अधीन ही अवशेष पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।
- 17 अगले सेमेस्टर में जाने की परिस्थितियां (Conditions to Carry to the next Semester) :**
- 17.01 किसी सेमेस्टर की उत्तीर्णता के लिए स्नातक/परास्नातक के विद्यार्थी को उस सेमेस्टर के लिए निर्धारित क्रेडिट के सापेक्ष 60% क्रेडिट के साथ 04 SGPA अर्जित करना आवश्यक होगा।
- 17.02 स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम-वर्ष तथा द्वितीय-वर्ष के विषम-सेमेस्टर (Odd Semester) से सम-सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। इसी प्रकार परास्नातक के विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के विषम-सेमेस्टर से सम-सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।
- 17.03 स्नातक के विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए प्रथम वर्ष के लिए आवश्यक क्रेडिट से सम्बन्धित सभी (मेजर/माइनर/वोकेशनल इत्यादि) प्रश्नपत्र तथा Qualifying (सह-पाठ्यक्रम) प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
- 17.04 यदि विद्यार्थी धारा-17.01 तथा धारा-17.02 की पूर्ति की दृष्टि से कुछ प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो Allowed to keep term (ATKT) अभिधारणा के क्रम में वह अगले सेमेस्टर में अपना अध्ययन जारी रख सकेगा किन्तु उसे सेमेस्टर उत्तीर्णता के लिए बैकलॉग प्रश्नपत्र (अनुत्तीर्णता वाले ATKT प्रश्नपत्र) को समान सेमेस्टर की अगली परीक्षा के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
- 17.05 यदि स्नातक का विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में को-करीकुलर प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह इस प्रश्नपत्र की परीक्षा बैकलॉग परीक्षा के रूप में अगले सम/विषम सेमेस्टर (जैसी स्थिति हो) के साथ दे सकेगा।

- 17.06 यदि स्नातक का विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में वोकेशनल प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसके इस प्रश्नपत्र की परीक्षा अगले सम/विषम सेमेस्टर (जैसी स्थिति हो) के साथ महाविद्यालय को सम्पन्न करानी होगी।
- 17.07 विद्यार्थी को सम्बन्धित स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम की उपाधि प्राप्त करने के लिए धारा-15.08 की पूर्ति के क्रम में पाठ्यक्रम के समस्त सेमेस्टर के लिए प्राविधानित प्रश्नपत्रों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- 18 चैलेंज-मूल्यांकन:**
- 18.01 स्नातक/परास्नातक का विद्यार्थी प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक मेजर और माइनर-इलेक्टिव विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रति प्रश्न-पत्र निर्धारित शुल्क जमा करते हुए विश्वविद्यालय अधिसूचना पत्रांक – लो0अ0वि0/गो0वि0/5971/2021 दिनांक 14/10/2021 में उद्धोषित नियमों के अनुक्रम में चैलेंज-मूल्यांकन की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
- 18.02 चैलेंज-मूल्यांकन की सुविधा किसी प्रश्नपत्र की मिड-सेमेस्टर/सेशनल (आंतरिक) तथा वोकेशनल परीक्षा के सन्दर्भ में उपलब्ध नहीं होगी।
- 18.03 विद्यार्थी द्वारा किसी प्रश्नपत्र में चैलेंज-मूल्यांकन की सुविधा प्राप्त करने के लिए परिणाम घोषणा की तिथि से 15 दिनों तक चैलेंज-मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है; तदोपरान्त इस सुविधा के लिए उसकी पात्रता समाप्त हो जाएगी।
- 19 संकाय/विषय परिवर्तन:**
- 19.01 (a) संकाय/विषय परिवर्तन की सुविधा स्नातक विद्यार्थियों के लिए प्रथम-वर्ष के प्रथम-सेमेस्टर के स्तर पर ही उपलब्ध होगी। द्वितीय एवं अग्रेतर सेमेस्टर के लिए संकाय/विषय परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य नहीं है। इसके अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थी ही संकाय/विषय परिवर्तन की सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं जो प्रथम-सेमेस्टर की परीक्षा को सुरक्षित अंकों के साथ उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहे हैं।
(b) परास्नातक स्तर पर संकाय/विषय परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
- 19.02 स्नातक प्रथम सेमेस्टर के घोषित परिणाम के आधार पर आवेदन किये जाने पर विद्यार्थी संकाय/विषय परिवर्तन की सुविधा के अन्तर्गत मात्र मेजर विषयों का ही किसी दूसरे संकाय से चुनाव कर सकता है।
- 19.03 संकाय/विषय परिवर्तन की सुविधा के अन्तर्गत माइनर-इलेक्टिव, वोकेशनल तथा अनिवार्य को-करीकुलर प्रश्न-पत्रों में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा विद्यार्थी द्वारा स्नातक प्रथम सेमेस्टर में इन प्रश्न-पत्रों के सापेक्ष प्राप्त अंक भी अपरिवर्तित रहेंगे।
- 19.04 विद्यार्थी द्वारा संकाय परिवर्तन के लिए आवेदन करने पर वह परिवर्तित विषयों के साथ द्वितीय एवं अग्रेतर सेमेस्टर की परीक्षाओं को दे सकेगा किन्तु परिवर्तित विषयों के साथ उसे प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा बैकलॉग परीक्षा के रूप में पुनः तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ देनी पड़ेगी।
- 20 बैकलॉग परीक्षा :**
- 20.01 ऐसे विद्यार्थी जो सम/विषम सेमेस्टर के मेजर विषयों, माइनर-इलेक्टिव विषय तथा अनिवार्य को-करीकुलर विषय से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के लिए आवश्यक उत्तीर्णता अंक प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रति प्रश्न-पत्र निर्धारित शुल्क जमा करते हुए सम्बन्धित प्रश्नपत्र की बैकलॉग परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सम्बन्धित प्रश्न-पत्र की यह परीक्षा अगली सम/विषम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ सम्पन्न कराई जाएगी।

- 20.02 वोकेशनल प्रश्न-पत्र एवं अन्य प्रश्नपत्रों की मिड-सेमेस्टर/सेशनल परीक्षा के स्तर पर बैकलॉग परीक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- 20.03 बैकलॉग परीक्षा के लिए आवेदित प्रश्नपत्र को सुरक्षित अंकों के साथ एक बार उत्तीर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी को पुनः उस प्रश्न-पत्र में बैकलॉग परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
- 20.04 किसी प्रश्नपत्र की बैकलॉग परीक्षा में सम्मिलित होने वाला विद्यार्थी स्वर्ण-पदक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 20.05 विशेष परिस्थिति में उचित कारण उपस्थित होने पर स्नातक/परास्नातक अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय स्पेशल बैकलॉग परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर सकता है।

21 पी-एच0डी0 कार्यक्रम:

- 21.01 (a) पी-एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम यू0जी0सी0/शासन के दिशा निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित तथा विद्या-परिषद् की बैठक दिनांक तथा कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक में अनुमोदित पी-एच0डी0 अध्यादेश के अनुसार होंगे।
- 21.02 प्रश्न-पत्र/पाठ्यक्रम अनुत्तीर्णता की स्थिति में धारा-20 के अधीन छात्र अगली परीक्षा में सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में बैकलॉग परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेगा।
- 21.03 प्री-पी-एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विद्यार्थी को पी-एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।

22 शैक्षणिक समयरेखा:

- 22.01 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधानों के आलोक में CBCS प्रणाली आधारित स्नातक/ परास्नातक पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शैक्षणिक गतिविधियाँ निम्नांकित शैक्षणिक-समयरेखा के अनुक्रम में संपन्न की जायेंगी -

क्रम	शैक्षणिक गतिविधियाँ	समयरेखा
1	अध्ययन समितियों की बैठकें (आवश्यकतानुसार)	मार्च से मई के मध्य
2	शैक्षणिक सत्र	01 जुलाई से अगले वर्ष 30 जून तक
3	विषम सेमेस्टर संचालन	01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक
4	विषम सेमेस्टर की प्रथम सेशनल (आन्तरिक) परीक्षा	24 सितम्बर से 30 सितम्बर के मध्य
5	विषम सेमेस्टर की द्वितीय सेशनल (आन्तरिक) परीक्षा	25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य
6	विषम सेमेस्टर की तृतीय सेशनल (आन्तरिक) परीक्षा	24 नवम्बर से 30 नवम्बर के मध्य
7	वोकेशनल पाठ्यक्रम परीक्षा (आन्तरिक/ विषम सेमेस्टर)	10 नवम्बर से 20 नवम्बर के मध्य
8	प्रश्न-पत्र सेटिंग (विषम सेमेस्टर)	15 अक्टूबर से 30 नवम्बर के मध्य
9	प्रायोगिक परीक्षा (विषम सेमेस्टर)	10 नवम्बर से 30 नवम्बर के मध्य
10	विषम सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अवधि	05 नवम्बर से 20 नवम्बर के मध्य
11	एण्ड-सेमेस्टर परीक्षा (विषम सेमेस्टर)	01 दिसम्बर से 24 दिसम्बर के मध्य
12	उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन (विषम सेमेस्टर)	26 दिसम्बर से 15 जनवरी के मध्य
13	परीक्षा परिणाम (विषम सेमेस्टर)	16 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य
14	सम-सेमेस्टर संचालन	01 जनवरी से 30 जून तक
15	सम सेमेस्टर की प्रथम सेशनल (आन्तरिक) परीक्षा	25 मार्च से 31 मार्च के मध्य
16	सम सेमेस्टर की द्वितीय सेशनल (आन्तरिक) परीक्षा	24 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य
17	सम सेमेस्टर की तृतीय सेशनल (आन्तरिक) परीक्षा	25 मई से 30 मई के मध्य

18	वोकेशनल पाठ्यक्रम परीक्षा (आंतरिक/ सम सेमेस्टर)	10 मई से 20 मई के मध्य
19	प्रश्न-पत्र सेटिंग (सम-सेमेस्टर)	15 मई से 30 मई के मध्य
20	प्रायोगिक परीक्षा (सम-सेमेस्टर)	10 मई से 30 मई के मध्य
21	सम सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अवधि	05 मई से 20 मई के मध्य
22	एण्ड-सेमेस्टर परीक्षा (सम सेमेस्टर)	02 जून से 25 जून के मध्य
23	उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन (सम सेमेस्टर)	26 जून से 15 जुलाई के मध्य
24	परीक्षा परिणाम (सम सेमेस्टर)	16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य

23 अनुक्रमांक संरचना:

23.01 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों से आबद्ध सत्र 2021-22 की स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तथा आगामी सत्रों की स्नातक/परास्नातक की सेमेस्टर परीक्षाओं में छात्रों को आवण्टित अनुक्रमांक की संरचना बाएं से दाहिने के क्रम में निम्नांकित प्रकार से निर्धारित की जाएगी।

- प्रथम 02 अंक विद्यार्थी के प्रवेश के वर्ष को प्रदर्शित करेंगे।
- अगले 02 अंक विद्यार्थी द्वारा चयनित संकाय के कोड को प्रदर्शित करेंगे।
- अगले 02 अंक विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम (यथा स्नातक/ परास्नातक/ पी0जी0 डिप्लोमा/ डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट) को प्रदर्शित करेंगे।
- अगले 04 अंक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के लिए चयनित महाविद्यालय के कोड को प्रदर्शित करेंगे। तद्सम्बंध में विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में महाविद्यालयों के लिए प्रयुक्त किये जा रहे कोड को ही 04 अंक का स्वरूप प्रदान किया जायेगा।
- अंतिम 04 अंक विद्यार्थी के सम्बन्धित संकाय के पाठ्यक्रम/विषय के अन्तर्गत आवण्टित अनुक्रमांक को प्रदर्शित करेंगे।

23.02 विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम 1978 में उल्लेखित संकायों के अनुक्रम में अनुक्रमांक आवण्टन के लिए संकायों के कोड निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित होंगे –

- | | |
|---|-----------|
| (a) Faculty of Arts and Humanities | Code – 01 |
| (b) Faculty of Commerce and Management | Code – 02 |
| (c) Faculty of Law | Code – 03 |
| (d) Faculty of Science | Code – 04 |
| (e) Faculty of Education | Code – 05 |
| (f) Faculty of Engineering and Technology | Code – 06 |
| (g) Faculty of Home Science | Code – 07 |
| (h) Faculty of Agriculture | Code – 08 |
| (i) Faculty of Medical Science | Code – 09 |
| (j) Faculty of Dental Science | Code – 10 |
| (k) Faculty of Nursing and Paramedical Sciences | Code – 11 |
| (l) Faculty of Ayurveda | Code – 12 |

23.03 तद्क्रम में सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के कोड निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित होंगे –

- | | |
|---|----------|
| (a) स्नातक पाठ्यक्रम | कोड – 01 |
| (b) परास्नातक पाठ्यक्रम | कोड – 02 |
| (c) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों से पृथक पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम | कोड – 03 |
| (d) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों से पृथक डिप्लोमा पाठ्यक्रम | कोड – 04 |
| (e) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों से पृथक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम | कोड – 05 |

उदाहरण - उपरोक्त व्यवस्था के क्रम में सत्र 2021-22 में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में के0एस0 साकेत पी0जी0 कॉलेज, अयोध्या में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रथम विद्यार्थी का अनुक्रमांक '21040100150001' होगा।

24 विद्यार्थी मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधि :

- 24.01 विद्यार्थी का स्नातक पाठ्यक्रम में सतत, व्यापक एवं समग्र मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर किया जायेगा –
- (a) शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic Assessment)
 - (b) कौशल मूल्यांकन (Skill Assessment)
 - (c) शारीरिक मूल्यांकन (Physical Assessment)
 - (d) व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality Assessment)
 - (e) बहिर्मुखी मूल्यांकन (Extracurricular Assessment)
 - (f) स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment)
- 24.02 विद्यार्थी का शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic Assessment) धारा-13, 14, 15 के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अनुक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर के स्तर पर किया जायेगा।
- 24.03 विद्यार्थी का कौशल मूल्यांकन (Skill Assessment) धारा-11 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्था के अनुक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर के स्तर पर किया जायेगा।
- 24.04 विद्यार्थी का शारीरिक मूल्यांकन (Physical Assessment), व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality Assessment), बहिर्मुखी मूल्यांकन (Extracurricular Assessment) और स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) वार्षिक स्तर पर किया जायेगा।
- 24.05 विद्यार्थी के शारीरिक मूल्यांकन (Physical Assessment), व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality Assessment), बहिर्मुखी मूल्यांकन (Extracurricular Assessment) और स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) के लिए महाविद्यालय स्वयं के स्तर पर आन्तरिक मापदण्ड (Internal Parameter) निर्धारित करते हुए पृथक-पृथक श्रेणी में मूल्यांकन-ग्रेड प्रदान करेंगे और उसे विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- 24.06 धारा 23.05 में संदर्भित मूल्यांकन-ग्रेड निम्नवत विभाजित होंगे –
- Grade A : अत्युत्कृष्ट (Excellent) प्रदर्शन
 - Grade B : उत्तम (Good) प्रदर्शन
 - Grade C : औसत (Average) प्रदर्शन
 - Grade D : असंतोषजनक (Unsatisfactory) प्रदर्शन
- 24.07 धारा 23.06 में उल्लिखित मूल्यांकन-ग्रेड सेमेस्टर/वार्षिक उत्तीर्णता की मेरिट/स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगे।

25 अन्य सुविधायें:

- 25.01 विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारस्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को जमा करेंगे।

26 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जिला समन्वयक समिति':

- 26.01 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, प्रत्येक महाविद्यालय तक सूचनाओं के समुचित आदान-प्रदान, तद्संबंध में समस्याओं के त्वरित निदान और सम्पूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर 'एन0ई0पी0-टास्क फोर्स' और सम्बद्धता परिक्षेत्र के प्रत्येक जिले में 'एन0ई0पी0 2020 जिला समन्वय समिति' को क्रियाशील किया जायेगा।
- 26.02 विश्वविद्यालय स्तर पर गठित 'एन0ई0पी0-टास्क फोर्स' में सम्बद्धता परिक्षेत्र के 07 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्राचार्य-गण सम्बन्धित जिले के सन्दर्भ में 'एन0ई0पी0 2020 जिला समन्वय समिति' के अध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे। अध्यक्ष नियमित अन्तराल पर समिति की बैठक करते हुए प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे और आवश्यकतानुसार टास्क-फोर्स से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
- 26.03 जिला-समिति के सदस्य आनुपातिक रूप से क्षेत्र के महाविद्यालय को चयनित करते हुए उनसे NEP-2020 को लागू करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करेंगे।

27 परीक्षा शुल्क:

विश्वविद्यालय के पूर्व संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप एन0ई0पी0 2020 के प्राविधानों से आच्छादित स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा-शुल्क जमा करना होगा।

28 विशेष :

- 28.01 डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सम्बंधित समस्त विवरण वेबलिक <http://www.rmlau.ac.in/new/NEP.aspx> पर प्राप्त किया जा सकता है।
- 28.02 उच्च-शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधानों के दृष्टिगत स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में प्रस्तावित संरचना को समग्रता से निर्दिष्ट करने वाली 'तालिका' सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। उक्त तालिका मूल रूप में 'उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद' की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है।

Table - Year-wise Structure of UG/PG Programs

		Blue Colour: No. of papers			Red colour: Credits		Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses		Minimum Credits For the year	Cumulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey / Research Project		
		Major 4/5/6 Credits	Major 4/5/6 Credits	Major 4/5/6 Credits	Minor Elective 4/5/6 Credits	Minor 3 Credits	Minor 2 Credits	Major 4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	(Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	(Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	Th-2 (6)	Th-1(4) Research Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject